

श्रेयक,

शानू राम,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्यांक: दिनांक: 08 जून, 2006

विषय :- एएन० इंटरनेशनल स्कूल नूरपुर रोड बिजनौर को सी०बी०एस०ई०  
नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।


महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे छठप्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से भान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन नईदिल्ली/कौंसिल ऑफ दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैजिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से छठप्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त भान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिकणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

-----2-----

  
Manager  
A. N. International  
Bijnor

  
Principal  
A. N. International School  
Noorpur Road, Bijnor

- (6) कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय  
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ  
उपलब्ध कराये जायेगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आपेक्ष निर्गत किये जायेगे संस्था  
उन्वय पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड नियमित प्रपत्र पणिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उपर शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/  
परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह  
पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन  
करने में किसी प्रकार की धुंका या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त  
अनापातित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)  
अनु सचिव ।

पुस-1938(1)/15-7-2006 तद्विनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय समुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर ।
- 4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय उओओ, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, एओएम इण्टरनेशनल स्कूल नूरपुर रोड बिजनौर ।
- 6- गार्ड धुंका ।

आशा से,

(बाबू राम)  
अनु सचिव ।

Manager

A. N. International School  
BUNOR

Principal

A. N. International School  
Nourpur Road, BUNOR (U.P.)